

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Six Minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair.]

MATTERS UNDER RULE 377

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Matters under Rule 377. Shri Rawat. You will be followed by Shri Satyanarayan Jatia and Shri Natarajan and Shri Duleep Singh Bhuria.

(i) SUPREME COURT DECISION ON BONUS TO LIC EMPLOYEES

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोडा) :
उपाध्यक्ष महोदय, 24 नवम्बर, 1974 को जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों व प्रबंधकों के मध्य यह निर्णय हुआ था कि निगम के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उनके द्वारा अर्जित लाभांश का 15 प्रतिशत बोनस के रूप में दिया जायेगा। इस निर्णय के विरुद्ध निगम के प्रबंधकों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में की गई अपील पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10 नवम्बर, 1980 को कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देने के उपरान्त भी जीवन बीमा निगम के प्रबंधकगणों द्वारा कर्मचारियों को बोनस देने के सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं की गई है।

इस विलम्ब के प्रति तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में व्यापक असंतोष व्याप्त है। अतः केन्द्रीय वित्त मंत्री जी तत्काल हस्तक्षेप कर न्याय दिलवायें।

(ii) PAYMENT OF ARREARS TO WORKERS AND FARMERS OF MAHIDPUR ROAD AND JAVARA SUGAR FACTORIES

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) :
उपाध्यक्ष महोदय, महिदपुर रोड तथा जावरा के शक्कर कारखानों का सरकार द्वारा अधिग्रहण करने के बाद

कर्मचारियों के पिछले बकाया, वेतन, रिटेनिंग राशि का तथा किसानों के गन्ने की मिल की ओर भुगतान शेष है। इस प्रकार कर्मचारियों की भविष्य निधि में जमा कर्मचारियों का अंश तथा मिल क अंश का हिसाब भी ठीक नहीं है। सरकार द्वारा गन्ने की कीमत काफी कम घोषित की गई है। इसके कारण किसानों में निराशा है। किसानों की मांग है कि उन्हें कम से कम 30 रुपया प्रति क्विंटल गन्ने की कीमत का भुगतान किया जाये। ऐसी अनिश्चितता की स्थिति को समाप्त करने के लिए सरकार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर मजदूरों का तथा किसानों का बकाया भुगतान करने की व्यवस्था करे, जिससे मिल सुचारू रूप से उत्पादन प्रारम्भ कर सके।

(iii) REVISED WAGES FOR CARDAMOM WORKERS

SHRI CUMBUM N. NATARAJAN (Periyakulam): The small growers of cardamoms numbering about 11,780 having less than five acres of cardamoms cultivation are being advised to implement the revised wages agreed to at the Plantation Labour Committee. These revised wages are applicable to a day's work of 8 hours. All the other demands of the workers have been met in full and there cannot be any grievance in doing 8 hours' work. The Office of the Labour Commissioner, Trivandrum has, as late as 4th September, 1980 referred to section 19 of the Plantation Labour Act stipulating 54 hours of work a week. Here it is pertinent to point out that the revised wages are applicable only to adults and the revised wages for supervisors and children are yet to be settled by the Plantation Labour Committee. The Cardamom planters have accepted the revised wages from 1-4-80 for implementation. It is necessary to point out here that these revised wages have